



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को टोक्यो (जापान) में निवेशकों की बैठक में भाग लिया। बैठक में उन्होंने दिसम्बर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में शामिल होने के लिये जापान के निवेशकों को आमंत्रित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और राजस्थान के उद्योग-वाणिज्य विभाग के मुख्य शासन सचिव अजिताभ शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोक्यो में "राइजिंग राजस्थान" के रोड शो का नेतृत्व किया

जेट्रो, काई ग्रुप, निप्पोन स्टील ट्रेडिंग, हिताची, यामाशिता रबर, ई एंड एच प्रिसिजन, ताकाहाटा प्रिसिजन और अन्य जापानी फर्मों के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की

टोक्यो, 11 सितंबर। "राइजिंग राजस्थान" ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दक्षिण कोरिया रोड शो के सफल आयोजन के बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज जापान की राजधानी टोक्यो में निवेशकों की बैठक (रोड शो) में भाग लिया। इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यह जापान यात्रा जापानी व्यापार जगत को प्रदेश में निवेश के लिए और इस साल दिसंबर में आयोजित "राइजिंग राजस्थान" ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए हो रही है। टोक्यो में आयोजित इस रोड शो को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशक समुदाय और उद्योगियों को राजस्थान में निवेश करने और मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, जापानी निवेशकों के लिए उपयुक्त व्यापारिक वातावरण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता से स्पष्ट है, जहां अब तक 48 से अधिक जापानी कंपनियों ने लगभग 8.34

- मुख्यमंत्री ने टोक्यो में नीमराणा दिवस समारोह में भाग लिया, उन्होंने कहा नीमराणा देश-विशिष्ट निवेश क्षेत्र के लिए एक मॉडल है। नीमराणा में कई जापानी कंपनियां हैं।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अनिवासी राजस्थानी (एन.आर.आर.) समुदाय से भी मुलाकात की। समुदाय से जापान में राजस्थान के दूत की भूमिका निभाने का आह्वान किया।

बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। यह "ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस" के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार नीमराणा से करीब 20 कि.मी. दूर छिलोट में दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र भी विकसित कर रही है। टोक्यो में हुई निवेशकों की इस बैठक में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने जापानी निवेशकों के समक्ष राजस्थान में निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी और राज्य की नई नीतियों और शासन प्रणाली में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताया।

ताकाहाटा प्रिसिजन सहित कई जापानी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इन बैठकों में, मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश करने और जापान और राजस्थान के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रशंसा की। रोडशो के बाद, मुख्यमंत्री शर्मा ने टोक्यो में रहने वाले अनिवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय से भी मुलाकात की। ये वो लोग हैं, जो वर्तमान में जापान में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ें राजस्थान में हैं। मुख्यमंत्री ने अनिवासी राजस्थानियों के समुदाय से जापान में राजस्थान के दूत की भूमिका निभाने और अपने गृह राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का आग्रह किया। जापान के दौर पर गए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और रीको और बीआईपी के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।

गहलोट सरकार अपने अंतिम दिनों में भी बाज नहीं आई एक और मैगा स्कैम से

ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के तहत 9,600 करोड़ रुपये के टैण्डर आवंटित किये मेघा नामक कंपनी को

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 सितम्बर। अशोक गहलोट सरकार का एक बहुत बड़ा घोटेला, जो उनके पाँच वर्ष के कार्यकाल के बिल्कुल अन्त में हुआ था, गैर कानूनी एवं अनियमित तौर तरीकों को एक अन्तही मिसाल है। जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया था, उसे खुश करने में मुख्यमंत्री हद से ज्यादा झुक गए थे। शुद्धि पत्रों में वित्तीय तथा तकनीकी - दोनों ही प्रकार के बड़े-बड़े बदलाव किए गए, और इसका नतीजा यह हुआ कि जो शर्तें रखी गई थीं, उन पर राज्य सरकार ने स्वयं समझौते किए। संदर्भित कंपनी का नाम "मेघा" है तथा इस कंपनी की खास बात यह है इसने भाजपा को अधिकतम इलेक्ट्रोल बॉन्ड बॉण्ड्स दिए हैं। तीन निविदाओं की कुल राशि - रु.7788 करोड़ निविदा में भरी राशि - रु.10571 करोड़ आर्डर फाइनल हुआ - रु.9600 करोड़ यह पूर्ण राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित है। "राजस्थान के कोटा एवं बारां जिलों में रामगंधत बैराज, महलपुर बैराज, नवनीरा पम्प हाउस, मुख्य

- इस कंपनी को राजी रखने के लिये गहलोट सरकार उल्टी लटक गई। कंपनी को लाभ व सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने, टैण्डर की शर्तों में तीन बार परिवर्तन किया, कोरिजेंडम जारी करके। उदाहरण के लिये, एक कोरिजेंडम जारी करने मेघा कंपनी पर, सी.ए. व बैंक द्वारा सत्यापित दस्तावेज ही टैण्डर के साथ देने की शर्त हटा दी।
- मजे की बात है कि मेघा कंपनी ने सबसे ज्यादा इलैक्ट्रोल बॉण्डस खरीद के दिये थे भाजपा को। क्या इसी कारण अब ज्यादा नहीं उछाला जा रहा नयी सरकार में भी।

नहर को डिलीवरी सिस्टर्न तक पहुँचाना तथा हाईब्रिड वार्षिक मॉडल पर 10 वर्ष के ओ. एण्ड एम. (आपरेशन एवं मैनटेनेंस) के साथ डिलीवरी सिस्टर्न का निर्माण। सम्बन्धित मन्त्री थे महेंद्र जीत मालवीय, जो अशोक गहलोट के बहुत निकट माने जाते थे। समझा जाता है कि उन्होंने सब कुछ अशोक गहलोट के निर्देशानुसार किया था। रोचक बात यह है कि वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। क्या इसी कारण भाजपा इस इतने बड़े घोटेले के बारे में कुछ नहीं बोल रही है? मालवीय ने, कंपनी को लाभ पहुँचाने के लिए जारी किए गए शुद्धि-पत्रों के जरिए, "मेघा" कंपनी को अनेक लाभ पहुँचाए। गहलोट सरकार ने बिडर द्वारा सी.ए. द्वारा प्रमाणित तथा बैंक द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों का प्रावधान हटा दिया था। इसके बाद, बिडर स्वयं के हस्ताक्षर युक्त अपना ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता था तथा बैंक सॉल्वेन्सी के किसी बाहरी प्रमाण पत्र को आवश्यकता नहीं रही थी।

क्या अमेरिका हरियाणा के चुनाव में रुचि ले रहा है?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 सितम्बर। पिछले सप्ताह नई दिल्ली में एक विचित्र घटना घटी। रात के 2 बजे, किसान संगठनों के एक दर्जन नेता गुप्त मीटिंग के लिये अमेरिकन दूतावास में जाते हुए देखे गए तथा डेढ़ घंटे के बाद बाहर आये। इनमें हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के अलावा कुछ

'उचित शिक्षा के लिए अनफिट' हैं मद्रसे

नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 सितम्बर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एन.सी.पी.सी.आर.) ने कहा है कि मद्रसे बच्चों, जो वहाँ पढ़ते हैं, को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उनके काम करने के लिए सही स्थान नहीं है। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक बच्चा जो ऐसा संस्था में शिक्षा प्राप्त करता है, वो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के मूल ज्ञान से वंचित रह जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि मद्रसे

- आयोग ने कहा कि चूंकि मद्रसा राइट टु एजुकेशन कानून में परिभाषित स्कूल के दायरे में नहीं आते हैं इसलिए इनमें पढ़ने वाले बच्चे इस कानून के तहत दी जाने वाली सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं।
- आयोग ने कहा कि मद्रसे मनमाने तरीके से चलते हैं और वे अन्य स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं।

मनमाने तरीके से काम करते हैं और संवैधानिक प्रावधानों और आर.टी.ई. एक्ट तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधानों के खिलाफ है, एन.सी.पी.आर. ने कहा कि मद्रसों की तीन श्रेणियाँ हैं, मान्यता प्राप्त मद्रसे, गैर मान्यता प्राप्त मद्रसे और अज्ञात मद्रसे। ये वे मद्रसे हैं जिन्होंने राज्य सरकार से मान्यता के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया। एन.सी.पी.आर. ने कहा है, "बच्चे जो ऐसी संस्थाओं में भर्ती होते हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं (अनरिकग्नाइज्ड) हैं, क्योंकि ये नियोजित एवं व्यवस्थित नहीं (अनमैड) होती हैं, तथा ऐसी संस्थाओं की संख्या भी ज्ञात नहीं है। इसलिए, ये संस्थाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही हैं या नहीं, इसके साथ ही, इन संस्थाओं द्वारा बच्चों को दिए जा रहे माहौल की कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार की (अनरिकग्नाइज्ड तथा /अथवा अनमैड) में पढ़ने वाले बच्चों को "स्कूल न जाने वाले बच्चे" (आउट ऑफ स्कूल) माना जाना चाहिए, भले ही उन्हें नियमित शिक्षा दी जा रही हो।" इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में "उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मद्रसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खुली जेल में अस्पताल प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर

जयपुर, 11 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सांगरनेर स्थित देश की पहली खुली जेल की जमीन पर अस्पताल बनाए जाने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है तो सीएस भी वहाँ रहने का पहला अनुभव लेंगे।

■ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया तो मुख्य सचिव को भी इसमें रहने जाना पड़ सकता है।
जस्टिस बी.आर. गवई व के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी प्रसून गोस्वामी की अमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की। प्राथी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज ने खंडपीठ को बताया कि अदालत ने 17 मई 2024 को आदेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिकी मीडिया के अनुसार, कमला हैरिस ने डॉनल्ड ट्रम्प को अच्छी तरह पछाड़ा, प्रथम टी.वी. डिबेट में!

पोलिटिको, एक जाना माना न्यूज प्लेटफार्म, व न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, पूरी "डिबेट" में कमला हैरिस ट्रम्प पर छापी रहीं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 11 सितम्बर। अमेरिकन मीडिया ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस को रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डॉनल्ड ट्रम्प के साथ बहस में बहुत दौ है। जुलाई में हुई बहस में जो बाइडन काफी जुझते हुए नजर आए थे, इसके विपरीत फिलाडेल्फिया में हुई डिबेट में कमला हैरिस काफी गरिमापूर्ण और फोकस्ड नजर आईं। ए.बी.सी. न्यूज, जिसने वह डिबेट आयोजित की थी, में ट्रम्प को

- सी.एन.एन. के अनुसार, हैरिस ने डिबेट के दौरान, बार-बार ट्रम्प को उकसाया और वे बार-बार हैरिस के शब्द जाल में फँसते चले गये।
- डिबेट के बाद हैरिस ट्रम्प के आगे निकल गयीं, लोकप्रियता की रेटिंग में।
- अगर यह क्रम चलता रहा तो, कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं।

वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि ट्रम्प कई बार तथ्यों से भटके और 2020 के चुनावों और इमिग्रेशन के बारे में झूठे दावों का सहारा लेते दिखे। हैरिस ने ट्रम्प पर आरोप लगाया गया कि वे झूठ और निजी शिकायतों से भरी पुरानी थकी हुई प्लेबुक को ही बार बार झाड़ पोंछकर पेश कर रहे हैं तथा उनके पास अमेरिका के लोगों के लिए कोई असली प्लान नहीं है। सी.एन.एन. ने कहा कि हैरिस ने जो भी बातें कहीं, ट्रम्प हर बात में उनमें उलझते दिखे। सी.एन.एन. ने कहा कि हैरिस पूरी तरह से तैयार थीं और उन्होंने

प्रेमिका के पति के हत्यारे को आजीवन कारावास

जयपुर, 11 सितंबर। जिले के सत्र न्यायालय ने प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले युवक राकेश सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीस वर्षीय इस अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना

- सत्र न्यायालय ने आरोपी राकेश सैनी को दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
- अदालत ने कहा कि अभियुक्त का पूजा देवी से संबंध होना प्रमाणित है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि पूजा ने अपराध में राकेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)